

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी, जिला फलोदी

क्रमांक:- ०७ .

दिनांक :- ७.७.२५

-:कार्यालय आदेश:-

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.१(०२)न्याय/२०२३, जयपुर, दिनांक ०२.०६.२०२५ एवं राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश १९५०(सन् १९५० का अध्यादेश संख्या ७) की धारा ७ की उपधारा(१) धारा १२ की उपधारा(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार के इस अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से फलोदी जिला न्यायक्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को नवसृजित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक स्था.(राजस्थान न्यायिक सेवा)/८७/२०२५ दिनांक ०४.०६.२०२५ के द्वारा मुझ श्रीमती भारती पंवार, आर.जे.एस. को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परिणामस्वरूप मैं भारती पंवार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, फलोदी के अनुमोदन के पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४(१) व १५(२)(भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता की धारा १२(१) व १३) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फलोदी जिला न्याय क्षेत्र में आने वाले न्यायालयों के स्थानीय क्षेत्राधिकार का परिनिश्चयन एवं पूर्व में स्थापित उक्त दाण्डिक न्यायालयों का संशोधित स्थानीय क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार से आगामी आदेश तक निर्धारित करती हूँ।

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्थानीय क्षेत्राधिकार	टिप्पणी
१.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी	<p>पुलिस थाना फलोदी, महिला थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण, जिला परिवहन अधिकारी (DTO) की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में आने वाले प्रकरण एवं निम्नलिखित विशिष्ट अधिनियम:-</p> <ol style="list-style-type: none"> १. खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ २. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८ ३. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, १९२३ ४. औषधि द्रव्य एवं प्रसाधन अधिनियम, १९४० ५. न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ ६. पीटा एक्ट १९५६ ७. आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ 	
२.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-१, फलोदी	<p>पुलिस थाना देवू व आबकारी निरोधक दल, आबकारी वृत्त व वन्य अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं पुलिस थाना बाप, लोहावट व नोख के भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के अध्याय १८ के अंतर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७ए भारतीय दण्ड संहिता(भारतीय न्याय संहिता ३१८(४), ३३८, ३३६(क), ३४०(२), ३४४) व ५० लीटर से उपर के आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण।</p>	
३.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-२, फलोदी	<p>पुलिस थाना भोजासर व वन्य अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं पुलिस थाना मतोड़ा, चाखू व जाम्बा के भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के अध्याय १८ के अंतर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७ए भारतीय दण्ड संहिता (भारतीय न्याय संहिता ३१८(४), ३३८, ३३६(क), ३४०(२), ३४४) व ५० लीटर से उपर के आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण।</p>	

क्रमांक:-

4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी	पुलिस थाना चाखू, जाम्बा, व वन्य अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले (भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण 420, 467, 468, 471, 477ए भारतीय दण्ड संहिता(भारतीय न्याय संहिता 318(4), 338, 338(क), 340(2), 344) व 50 लीटर से उपर के आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के सिवाय) सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप	पुलिस थाना बाप, नोख व वन्य अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले (भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण 420, 467, 468, 471, 477ए भारतीय दण्ड संहिता(भारतीय न्याय संहिता 318(4), 338, 338(क), 340(2), 344) व 50 लीटर से उपर के आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के सिवाय) सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
6.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहावट	पुलिस थाना लोहावट, मतोड़ा व वन्य अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले (भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत आने वाले कूटरचना से संबंधित समस्त प्रकरण 420, 437, 468, 471, 477ए भारतीय दण्ड संहिता(भारतीय न्याय संहिता 318(4), 338, 338(क), 340(2), 344) व 50 लीटर से उपर के आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के सिवाय) सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी,
जिला फलोदी

दिनांक - 7.7.25

क्रमांक:- 156 - 171

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलोदी
02. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1/संख्या-2 फलोदी
03. न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी, बाप व लोहावट
04. बार एसोसिएशन फलोदी/बाप/लोहावट
05. पुलिस अधीक्षक, फलोदी
06. पुलिस थाना फलोदी/देचू/लोहावट/बाप/भोजासर/चाखू/जाम्बा/ नोख/मतोड़ा/आबकारी निरीक्षक, वृत्त फलोदी व आबकारी निरोधक दल फलोदी/क्षेत्रीय वन अधिकारी जिला फलोदी
07. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी,
जिला फलोदी